

## कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2645 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल 29, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० एन०एच० 119/534 किमी० 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32.553 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

P.N.- FP/UK/ROAD/45296/2020

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० IRO-DDN/FRCM/01/2022/1299 दिनांक 27.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3675/12-1 दिनांक 24.04.2023 (संलग्न) से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र से चाही गई सूचना निम्नप्रकार है:-

क्र०	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	उत्तरालेख
1	As per DSS analysis of new CA area, 17 ha is found to be VDF and 16 ha is found to be MDF. The DFO is required to submit a site inspection report of the MDF area clearly mentioning if the MDF area is suitable for plantation. The area falling in VDF shall be revised and details be submitted on the online portal.	<p>प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3675/12-1 दिनांक 24.04.2023 से अवगत कराया गया है कि- (16.00 है० एम०डी०एफ० का अनुपालन) विषयगत प्रकरण के 16.00 हैक्टर एम.डी.एफ. क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान गबनी III क०सं० 9 में 5.04 है० के सापेक्ष 1.00 है०, गबनी III क०सं० 9 में 5.00 हैक्टर, दीवा III क०सं० 7 में 3.00 है० तथा ग्वारी क०सं० 9 में 1.00 है० इस प्रकार कुल 10.00 है० क्षेत्र 1100 पौधों के पौधारोपण हेतु उपयुक्त है।</p> <p>17.00 है० वी०डी०एफ० का अनुपालन।</p> <p>17.00 है० वी०डी०एफ० क्षेत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पुनः आरक्षित अवनत वन भूमि में क्षेत्र का चयन कर अदवानी क०सं० 7 में 8.00 है० तथा दीवा III क०सं० 7 में 15.00 है० इस प्रकार कुल 23.00 है० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया। उपयुक्त पाये गये 23.00 है० क्षेत्र के जियोरिफरेन्स मैप एवं डिजिटल मैप संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)</p>
2	Details of the 56.819 ha of non-forest land are uploaded in the field additional document in Part I. Same shall be filled in para B of part I by the User Agency.	बिन्दु सं०-2 के अनुपालन में प्रभागीय प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग व प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि PARIVESH portal does not allow user agency filled the detail in para B of part I.

क्रमशः पेज 02 पर

3	Details of 76 saplings are required to be uploaded at para 4 in part II by the Forest Department.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि 76 Sapling की सूचना पार्ट-11. के बिन्दु 4 के (ii) में तथा Additi information details में भी अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
4	The DFO along with the User Agency shall visit the proposed muck dumping sites and shall review and minimize the area proposed for muck dumping. It shall be ensured the revenue lands/ degraded forests with gentle slope are selected.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग तथा वन क्षेत्राधिकारी, पौड़ी रेंज, नागदेव के साथ दिनांक 07.01.2023 को प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। पूर्व में प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्र को 7.92 है० को न्यून करते हुये 7.329 है० कर दिया गया है, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट 1 के पैरा B-2.4 में ऑन लाईन संशोधित कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5	DFO shall submit the reclamation plan for the muck disposal area.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं०-5 के अनुपालन में Reclamation plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।  
भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

(पंकज कुमार)  
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

etc

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo\_pauri\_uta@yahoo.co.in ,

Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 3675 /127 : दिनांक: पौड़ी, म्हाह, अप्रैल, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/45296/2020

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119/534 किमी० 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32.553 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा०रा०, लो०नि०वि०, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं० 2061/FP/UK/ROAD/45296/2020 दिनांक 25-02-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत करना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा ऑन लाईन निराकरण निम्न प्रकार से कर दिया गया है:-

क. सं.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	As per DSS analysis of new CA area, 17 ha is found to be VDF and 16 ha is found to be MDF. The DFO is required to submit a site inspection report of the MDF area clearly mentioning if the MDF area is suitable for plantation. The area falling in VDF shall be revised and details be submitted on the online portal.	<p>16.00 है० एम०डी०एफ० का अनुपालन। बिन्दु सं०-1 के अनुपालन अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के 16.00 हैक्टयर एम.डी.एफ. क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान गबनी III क०सं० 9 में 5.04 है० के सापेक्ष 1.00 है०, गबनी III क०सं० 9 में 5.00 हैक्टयर, दीवा III क०सं० 7 में 3.00 है० तथा ग्वारी क०सं० 9 में 1.00 है०। इस प्रकार कुल 10.00 है० क्षेत्र 1100 पौधों के पौधारोपण हेतु उपयुक्त है।</p> <p>17.00 है० वी०डी०एफ० का अनुपालन। 17.00 है० वी०डी०एफ० क्षेत्र के कम में अवगत कराना है कि पुनः आरक्षित अवनत वन भूमि में क्षेत्र का चयन कर अदवानी क०सं० 7 में 8.00 है० तथा दीवा III क०सं० 7 में 15.00 है० इस प्रकार कुल 23.00 है० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया। उपयुक्त पाये गये 23.00 है० क्षेत्र के जियोरिफरेन्स मैप एवं डिजिटल मैप संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)</p>
2	Details of the 56.819 ha of non-forest land are uploaded in the field additional document in Part I. Same shall be filled in para B of part I by the User Agency.	बिन्दु सं०-2 के अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि PARIVESH portal does not allow user agency filled the detail in para B of part I.
3	Details of 76 saplings are required to be uploaded at para 4 in part II by the Forest Department.	बिन्दु सं०-3 के अनुपालन में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा 76 Spring की सूचना पार्ट-1 के बिन्दु 4 के (ii) में तथा Additiana information details में भी अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
4	The DFO along with the User Agency shall visit the proposed muck dumping sites and shall review and minimize the area prposed	बिन्दु सं०-4 के अनुपालन में अवगत कराना है कि अवगत करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग तथा वन क्षेत्राधिकारी, पौड़ी रेंज, नागदेव के साथ दिनांक 07.01.

प्राप्त  
24/04/23  
क. सं. 10  
ग. सं. 10  
2  
ज. सं.  
8

	for muck dumping. It shall be ensured the revenue lands/degraded forests with gentle slope are selected.	2023 को प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। पूर्व में प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्र को 7.92 है० को न्यून करते हुये 7.329 है० कर दिया गया है, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट 1 के पैरा B-2.4 में ऑन लाईन संशोधित कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5	DFO shall submit the reclamation plan for the muck disposal area.	बिन्दु सं०-5 के अनुपालन में Reclamation plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑन लाईन आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

*Saw*  
(स्वप्निल अनिरुद्ध)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर



Email eenhsrinagar@ gmail. Com

phone/Fax No- 01346-250711

पत्रांक 529 / 2 खण्ड

दिनांक 29 / 03 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
पौड़ी, गढ़वाल

Diversion of 32.553 ha of forest land for construction of Satpuli in Srinagar (National Highway-119) Civil Soyam forest 20.115 ha. Panchyat forest 0.151 ha. Reserved forest 4.367 ha. Muck disposal 7.92 ha in favour of MoRTH within the jurisdiction of Garhwal forest division, District Pauri Garhwal. Uttarakhand FP/UK/Road/45296/2020 - 32.553 Hact. —

MOM of FRCM meeting held on 23.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयक कार्य में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है—

1	As per DSS analysis of new CA area, 17 ha is found to be VDF and 16 ha is found to be MDF. The DFO is required to submit a site inspection report of the MDF area clearly mentioning if the MDF area is suitable for plantation. The area falling in VDF shall be revised and details be submitted on the online portal.	As per CA land provided by your office the digital map, topo sheet and KML file is attached for further necessary action.
2	Details of the 56.819 ha of non-forest land are uploaded in the field additional document in Part 1. Same shall be filled in para B of part 1 by the User Agency.	PARIVESH portal does not allow user agency to edit this detail. Hence same may be modified from DFO office.
3	Details of 76 saplings are required to be uploaded at para 4 in part II by the Forest Department.	Reply may be submitted by DFO office.
4	The DFO along with the User Agency shall visit the proposed muck dumping sites and shall review and minimize the area proposed for muck dumping. It shall be ensured that revenue lands/ degraded forests with gentle slope are selected.	As per directions the dumping site has been reviewed and muck dump area minimized to 7.329 Ha.
5	DFO shall submit the reclamation plan for the muck disposal area.	Reply may be submitted by DFO office.

अधिशासी अभियन्ता,  
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,  
श्रीनगर

पत्रांक / दिनांक / 03 / 2023

प्रतिलिपि-1- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

2- मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3- मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

4- अधीक्षण अभियन्ता, 10वां0, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,  
श्रीनगर